

विधान परिषद के द्वितीय सत्र-2025 के प्रथम सोमवार के लिए निर्धारित श्री शाहनवाज खान, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-*25 का उत्तर।

प्रश्न

25-(क) क्या ऊर्जा मंत्री बतायेंगे कि यदि बिजली उपभोक्ता नया बिजली का कनेक्शन लेने के लिये आवेदन करता है तो या तो उसको ट्रांसफार्मर ओवरलोड बता दिया जाता है या कनेक्शन की दूरी अधिक बताकर लाखों रुपये का इस्टीमेट दे दिया जाता है ?

(ख) यदि व्यक्ति कनेक्शन के लिए 3000 रुपये नहीं जुटा पाता है तो इस जन समस्या का क्या समाधान है ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

प्रदेश में विद्युत संयोजन हेतु आवेदको को मा0 30प्र0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्गत कास्ट डाटा बुक में निहित प्राविधानों के अनुरूप समस्त विद्युत संयोजन निर्गत किये जाते हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

**ए.के. शर्मा
ऊर्जा मंत्री।**